संख्या :- 621 /I/2019-04(08)/77/2005

प्रेषक,

डॉ0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
एस0जे0वी0एन0 लि0,
शक्ति भवन, कॉरपोरेट ऑफिस कॉम्पलेक्स, शनन,
शिमला-171 006

ऊर्जा अनुभाग-01

देहरादून : दिनांक : 3 जून मई, 2019

विषय :- जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावॉट) की डी0पी0आर0 विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र अ0शा0प0सं0-SJVN/CC/CMD/2018-Camp Dehradun दि0-19-09-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावॉट) की पुनरीक्षित डी0पी0आर0 पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावॉट) की पुनरीक्षित डी0पी0आर0 निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

1. विकासकर्ता द्वारा डी0पी0आर0 में दर्शायी गई परियोजना की अप्रैल, 2016 के अनुसार कुल लागत रू0 477.15 करोड़ (With IDC & Front End Fee & With Escalation) से भविष्य में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर, पुनः शासन को अवगत कराना होगा।

2. विकासकर्ता द्वारा परियोजना के विभिन्न अवयवों हेतु सभी आवश्यक भूमि एवं भूगर्भीय परीक्षण परियोजना के विस्तृत परिकल्पन/अभियन्त्रण से पूर्व कराये जायेंगे तथा तदनुसार ही परियोजना निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा।

3. विकासकर्ता द्वारा परियोजना के निर्माण के दौरान विशेष स्थलीय परिस्थितियों एवं अन्यथा की स्थिति में डी0पी0आर0 में प्रस्तावित संरचनाओं से भिन्न संरचनाओं के निर्माण पर शासन को अवगत कराना होगा।

4. विकासकर्ता द्वारा भविष्य में परियोजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अन्वेषण/निरीक्षण कार्य कराये जाने पर उनकी रिपोर्ट उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी।

5. विकासकर्ता द्वारा प्रचलित मानकों के अनुसार परियोजना स्थल विशेष का भूकम्पीय अध्ययन कराया जाएगा तदानुसार परियोजना के विभिन्न अवयवों का विस्तृत परिकल्पन/अभियन्त्रण कराया जाएगा।

6. विकासकर्ता द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व परियोजना से उत्पादित होने वाली ऊर्जा के निस्सरण हेतु सम्बन्धित विभाग/संस्थान से पुष्टि एवं अनुबन्ध किया जाएगा।

F:\Neeraj\G.O\CO-1 (2019).docx

AGM (HOP)

Scanned by CamScanner

7. विकासकर्ता द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित खनन स्रोत अथवा नदी तल की सामग्री के उपयोग से पूर्व उनकी गुणवत्ता एवं उपयुक्तता के लिये सभी आवश्यक जांच कर ली जाएगी तथा परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर उपयोग की जाएगी। प्रस्तावित खनन स्रोत अथवा नदी तल की सामग्री का उपयोग, आवश्यक सवैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाएगा।

8. विकासकर्ता द्वारा परियोजना विशेष से सम्बन्धित पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति (R&R Policy) तैयार की जाएगी, जो कि किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति 2013/उत्तराखण्ड सरकार की पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति, 2013 अथवा भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अन्य सम्बन्धित नीतियों में दिये गये प्राविधानों से कमतर नहीं होगी। पुनः विकासकर्ता द्वारा उक्त नीति को सम्बन्धित जिला प्रशासन तथा उत्तराखण्ड शासन से अनुमोदित कराया जाएगा।

9. विकासकर्ता द्वारा इस परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना होगा एवं परियोजना से वन्य जीव प्रभावित होने की स्थिति में सम्बन्धित विभागों से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जाएगी।

10. विकासकर्ता द्वारा परियोजना को समयबद्व रूप से पूर्ण करने हेतु आधुनिक उपकरण एवं सॉफ्टवेयर के उपयोग से परियोजना का अनुश्रवण (Monitoring) किया जाएगा।

11. विकासकर्ता द्वारा टोंस एवं यमुना नदी घाटी हेतु किये जा रहे संचयी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन में दिये जाने वाले संस्तुतियों का पालन किया जाएगा।

12. विकासकर्ता द्वारा परियोजना की खुदाई से उत्पन्न हुए मलबे का नियमानुसार उचित एवं उपयुक्त व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारण किया जाएगा।

13. विकासकर्ता द्वारा पर्यावरणीय एवं जीव–जन्तु आवश्यकता के लिए डायवर्जन से परियोजना की डी0पी0आर0 के अनुसार अथवा राज्य सरकार/वन एवं पर्यावरण विभाग के निर्देशानुसार, जो भी अधिक होगी, आवश्यक न्यूनतम जल की मात्रा अवश्य ही नदी में छोड़ी जाएगी।

14. परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व विकासकर्ता द्वारा परियोजना से उत्पादित ऊर्जा के विक्रय मूल्य की व्यवहारिकता जाँच ली जायेंगी।

15. विकासकर्ता द्वारा परियोजना के विकास, निर्माण एवं संचालन से सम्बन्धित उत्तराखण्ड सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गई एवं भविष्य में जारी की जाने वाली विभिन्न नीतियों एवं दिशा–निर्देशों का समय–समय पर कड़ाई से पालन किया जाएगा।

16. विकासकर्ता द्वारा परियोजना के विकास एवं निर्माण की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जाएगी। पुनः उत्तराखण्ड शासन को किसी भी समय परियोजना की प्रगति रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ने पर विकासकर्ता द्वारा अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।

17. विकासकर्ता द्वारा मूल डी0पी0आर में सभी सुधारों, संशोधनों एवं संलग्नकों का उपयुक्त समावेश/संशोधन करते हुए अन्तिम/नवीनतम डी0पी0आर0 की 03 प्रतियां (हार्ड एवं सॉफ्ट) उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेंगी।

AGM (HOP)

Scanned by CamScanner

18. उत्तराखण्ड शासन के अधीन यह अधिकार होगा कि उपरोक्त दिये गये विभिन्न टिप्पणियों/शर्तों का समुचित पालन न होने की दशा में, डी0पी0आर0 की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

19. उत्तराखण्ड राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं हेतु स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एल0ए0डी0एफ0) के अनुमोदन की प्रक्रिया जारी है, जिसके प्राविधानों का पालन विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

संख्या– **(2)/I/2019-04(08)/77/2005, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0, देहरादून।
2. निदेशक, ऊर्जा सैल,देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।

AGM (HOP)
J.S. HEP.
...ri, Uttarkashi
Uttarakhand

Scanned by CamScanner